

झ

झाड़खण्ड

(Jharkhand)

भारत के पूर्वी भाग में स्थित आदिवासी बहुल झाड़खण्ड राज्य का गठन 15 नवम्बर, 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके किया गया था। झाड़खण्ड की राजनीति को बहु-दलीय व्यवस्था का उदाहरण माना जा सकता है। यहाँ तीन दलों यानी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और झाड़खण्ड मुक्ति मोर्चा की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है। लेकिन राज्य में आल झाड़खण्ड स्टूडेंट्स यूनियन, बाबूलाल मरांडी द्वारा 2006 में गठित झाड़खण्ड विकास मोर्चा की राजनीतिक स्थिति भी बहुत मजबूत है। इसके अलावा, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल (एकीकृत) जैसे दलों का भी कुछ क्षेत्रों में प्रभाव है। दरअसल, इन दलों की मौजूदगी और विचारधारा या कार्यक्रम आधारित गठजोड़ न बन पाना ही राज्य की राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के कारण झाड़खण्ड बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। गठन के बाद यहाँ के अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने इन कम्पनियों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसी कम्पनियों के साथ सौ से भी ज्यादा समझौते किये गये। इससे दो तरह के नतीजे सामने आये हैं : पहला, राज्य की राजनीति में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा द्वारा चार हज़ार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की सम्पत्ति अर्जित करना इसी का एक उदाहरण है। दूसरा, राज्य में विस्थापन जैसे मुद्दों पर जनांदोलन में बढ़ोतरी हुई। झाड़खण्ड के कई जिलों में माओवादियों का भी प्रभाव है। राजनीतिक दलों द्वारा

अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से न निभाने के कारण ही माओवादियों को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौक़ा मिला है। इसने कई जगहों पर विस्थापन के लिए संघर्ष कर रहे समूहों के लिए मददगार की भूमिका निभायी है, तो कई दूसरे जगहों पर इसके कारण लोगों को सरकार द्वारा चलायी जाने वाली ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसी मुहिमों का सामना करना पड़ा है।

राँची झाड़खण्ड की राजधानी है। इसके उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडीशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थिति है। झाड़खण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल के लिहाज़ से यह भारत का पंद्रहवाँ सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 3,29,66,238 है। इस लिहाज़ यह भारत का तेरहवाँ सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 413.6 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। झाड़खण्ड में कुल साक्षरता 67.63 प्रतिशत है और एक हज़ार पुरुषों पर 947 महिलाएँ हैं। यहाँ की विधानसभा में कुल 81 सदस्य होते हैं। यहाँ से लोकसभा के 14 और राज्यसभा के छह सदस्य चुने जाते हैं।

2001 की जनगणना के अनुसार, यहाँ 68.5 प्रतिशत हिंदू, 13.8 प्रतिशत मुसलमान, 13 प्रतिशत एनिमिस्टिक सरना धर्म को मानने वाले समुदाय रहते हैं। इसके अलावा, यहाँ की 4.1 प्रतिशत आबादी ईसाई धर्म की अनुयायी है। यहाँ 28 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 60 प्रतिशत अन्य लोग हैं। 1981 से जनसंख्या के आँकड़ों पर नज़र डालने से यह पता चलता है कि राज्य में आदिवासियों के जनसंख्या अनुपात में कमी आयी है और ग़ैर-आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ी है। अमूमन यह माना जाता है कि आदिवासियों में जन्म-दर कम और मृत्यु-दर ज्यादा होना, उद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण इस क्षेत्र



झाड़खंड : 15 नवम्बर, 2000 को गठित

में गैर-आदिवासी लोगों का बसने, आदिवासियों का दूसरे इलाकों में चले जाना आदि इसके प्रमुख कारण हैं। लेकिन बेशक अब भी जनसंख्या और राजनीतिक प्रभुत्व के लिहाज से आदिवासी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में हैं और झाड़खण्ड की पहचान आदिवासी क्षेत्र के रूप में ही है।

1765 में यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आ चुका था। इसी समय इसे उसके औपचारिक नाम झाड़खण्ड अर्थात् जंगल या वृक्ष-आच्छादित क्षेत्र के रूप में जाना गया। औपनिवेशिक दौर में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी हित साधने के लिए यहाँ के संसाधनों का भरपूर दोहन किया। अंग्रेजों के खिलाफ इस क्षेत्र में आदिवासियों ने कई विद्रोह किये। दरअसल 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के तक्ररीबन सौ साल पहले से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत की शुरुआत हो गयी थी। ये विद्रोह लगातार होते रहे। इस तरह का पहला विद्रोह संथाल नेता तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था। इसी तरह के अन्य विद्रोहों में 1832 में हुआ कोल विद्रोह, 1855 में सिदो मूर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में हुआ संथाल विद्रोह और 1895 से लेकर 1900 तक चला बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह बहुत ही प्रसिद्ध है। बिरसा मुंडा के विद्रोह के बाद ही अंग्रेजों ने 1908 में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट (सीएनटीए) बनाया, जिसमें स्थानीय आदिवासियों के भूमि पर प्रथागत अधिकार को स्वीकार

किया गया। आजादी के आंदोलन के समय में कांग्रेस और गाँधी का प्रभाव भी इस इलाके में था, लेकिन इसके साथ दूसरी कई धाराएँ भी मौजूद रहीं।

अलग झाड़खण्ड राज्य की माँग बहुत पुरानी है। 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया, तो छोटानागपुर उन्नति समाज ने अपना एक प्रतिनिधिमण्डल भेजकर झाड़खण्ड को एक अलग राज्य बनाने की माँग रखी थी। आजादी के बाद भी अलग झारखण्ड राज्य बनाने की माँग की जाती रही। इस संदर्भ में झाड़खण्ड पार्टी ने उल्लेखनीय भूमिका

निभायी। इस पार्टी का गठन 5 मार्च, 1949 को राँची में किया गया। जयपाल सिंह इसके अध्यक्ष थे। दरअसल यह जयपाल सिंह द्वारा 1938 में गठित आदिवासी महासभा का ही नया रूप था। इस दौर में गठित कई आयोगों ने एक अलग आदिवासी राज्य की माँग को नकार दिया। मसलन 1947 में ठक्कर आयोग, 1948 में डार आयोग और 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी एक अलग झाड़खण्ड राज्य की माँग को नकारा।

झारखण्ड पार्टी बिहार में एक मजबूत दल के रूप में उभरी। यहाँ दो विधानसभा चुनावों (1952 और 1957) में इसे 32 सीटों पर जीत मिली और वह विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल भी रही। लेकिन 1963 में जयपाल सिंह कांग्रेस में शामिल हो गये। इसके बाद झाड़खण्ड पार्टी भी काफ़ी कमजोर हो गयी। तक्ररीबन एक दशक तक झाड़खण्ड राज्य का मसला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। झाड़खण्ड पार्टी भी कई भागों में टूट गयी। इनमें से ही एक भाग बिहार झाड़खण्ड हूल प्रोग्रेसिव पार्टी के रूप में गठित हुआ। इसके नेता के रूप में शिबू सोरेन का उभार हुआ। 1972 में सोरेन ने झाड़खण्ड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नामक नयी पार्टी का गठन किया। इस पार्टी और इससे अलग होकर बने ऑल झाड़खण्ड स्टूडेंट यूनियन (आजसू) जैसे संगठनों ने अलग झाड़खण्ड राज्य के मुद्दे पर रैडिकल आंदोलन की शुरुआत की। 1987 में राम

दयाल मुंडा के प्रयासों से झाड़खण्ड को आर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ जिसमें 48 संगठन शामिल थे। नब्बे का दशक आते-आते झाड़खण्ड आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ लिया।

बिहार सरकार ने इस मुद्दे का तीखापन कम करने के लिए 1995 में झाड़खण्ड क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद् का गठन किया। इसमें केंद्र सरकार, बिहार सरकार और शिबू सोरेन की मुख्य भूमिका थी। लेकिन राज्य के दूसरे संगठनों ने इसका विरोध किया और वे अलग झाड़खण्ड राज्य की अपनी माँग पर डटे रहे। आखिरकार, 15 नवम्बर 2000 को झाड़खण्ड राज्य का गठन हुआ।

झाड़खण्ड राज्य के गठन के बाद यह उम्मीद की गयी थी कि राज्य आदिवासियों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा और उनका राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण होगा। लेकिन आम तौर से स्थिति इसके उलट ही रही है। अपने गठन के बाद से ही झाड़खण्ड राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और हिंसक राजनीति का शिकार रहा है। नवम्बर, 2000 में राज्य का गठन होने के बाद यहाँ की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत होने के कारण इसके नेता बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन भाजपा की आंतरिक उठा-पटक के कारण इन्हें 18 मार्च, 2003 को इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद भाजपा के ही अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री बने और मार्च, 2005 में अगले विधानसभा चुनावों तक मुख्यमंत्री रहे। 2005 के विधानसभा चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला। भाजपा को 30 सीटें मिली और वह सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में सामने आयी। इसके अलावा, कांग्रेस को नौ, झामुमो को 17, राजद को सात, जद (एकीकृत) को छह और अन्य छोटे दलों को 13 सीटों पर जीत मिली। चुनावों के बाद दस दिनों के लिए शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने लेकिन अपना बहुमत साबित न कर पाने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 12 मार्च, 2005 से 18 मार्च, 2006 तक अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री रहे।

फिर कांग्रेस, राजद, झामुमो और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मिलकर एक निर्दलीय विधायक मधु कोडा को राज्य का मुख्यमंत्री बनवाया। 26 अगस्त, 2008 को मधु कोडा की जगह शिबू सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। सोरेन ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनायी। लेकिन यह सरकार भी स्थिरता देने में नाकाम रही और 13 जनवरी, 2009 को उनकी सरकार

गिर गयी। दिसम्बर 2009 में हुए विधानसभा चुनावों में भी किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 25 तथा भाजपा और उसके सहयोगियों को 20 सीटों पर जीत मिली। झामुमो को 18 सीटें मिलीं और 18 सीटों पर छोटी पार्टियाँ और निर्दलीय विधायक जीते। चुनावों के बाद 30 दिसम्बर, 2009 को शिबू सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने में नाकाम रहने के कारण उन्हें 30 मई, 2010 को इस्तीफा देना पड़ा। 10 सितम्बर तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा। इसके बाद अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। झामुमो और आजसू के नेता इस सरकार में उपमुख्यमंत्री हैं। झाड़खण्ड राज्य बनने के बाद के इस इतिहास पर सरसरी निगाह डालने से यह स्पष्ट है कि झाड़खण्ड अपने गठन के बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है।

झाड़खण्ड राज्य आदिवासियों के एक लम्बे संघर्ष का नतीजा है। प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने पर राज्य का भरपूर विकास किया जा सकता है। लेकिन अपने गठन के बाद से ही झाड़खण्ड राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार की जकड़बंदी में फँसा हुआ है। इसे खत्म किये बिना उन सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता है जो झाड़खण्ड-संघर्ष के मूल प्रेरणा स्रोत थे।

देखें : असम, अरुणाचल प्रदेश, आदिवासी प्रश्न-1, 2 और 3, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, ओडीशा, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, दिल्ली, नगालैण्ड, पश्चिम बंग, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, भारतीय संघवाद, बिहार, राजस्थान, राज्यों का पुनर्गठन-1, 2 और 3, राज्यों की राजनीति, संघवाद, हरियाणा।

संदर्भ

1. सजल बसु (1994), *झाड़खण्ड मूवमेंट : एथिसिटी ऐंड कल्चर ऑफ़ साइलेंस*, इंस्टीट्यूट ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज़, शिमला।
2. संजय कुमार और हरिश्चर दयाल (2002) 'झाड़खण्ड : रिवर्सल ऑफ़ पास्ट ट्रेड्स', *इकॉनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली*, खण्ड 39, अंक 51
3. संदीप शास्त्री, के.सी. सूरी और योगेंद्र यादव (सम्पा.) *इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट्स : लोकसभा इलेक्शंस इन 2004 ऐंड बियाँड*, दिल्ली : ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली।

—कमल नयन चौबे